

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/खेलकूद-1/35051/सत्र पर्यन्त/2018-19/

दिनांक 25/07/18

विज्ञप्ति

विभाग में संचालित सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं खेल छात्रावासों के सफल संचालन हेतु विभाग में कार्यरत योग्य शारीरिक शिक्षकों (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) का चयन कर पदस्थापन किया जाना है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत योग्य शारीरिक शिक्षकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण छात्रा विद्यालयों में केवल महिला शारीरिक शिक्षिकाओं के ही पदस्थापन किए जाएंगे। राज्य में संचालित सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं खेल छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार है :-

सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र छात्र विद्यालय

क्र.स.	विद्यालय का नाम	खेल का नाम
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोहर (हनुमानगढ़)	फुटबॉल
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागोर (भीलवाड़ा)	वॉलीबाल
3.	राजकीय श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर	बास्केटबाल
4.	राजकीय उ. मा. विद्यालय, राजगढ़, पो. सादुलपुर (चूरू)	एथलेटिक्स
5.	राजकीय गोवर्धन उ.मा.वि., नाथद्वारा, (राजसमंद)	कुश्ती
6.	राजकीय जवाहर लाल नेहरू उ.मा.वि., भीममंडी, कोटा	हॉकी
7.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज, श्रीगंगानगर	जूडो
8.	राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	हॉकी
9.	राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	बास्केटबाल

सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र छात्रा विद्यालय

क्र.स.	विद्यालय का नाम	खेल का नाम
1.	राजकीय महारानी बालिका उ.मा.वि. बनीपार्क, जयपुर	वॉलीबाल
2.	राजकीय महारानी बालिका उ.मा.वि., बीकानेर	बास्केटबाल
3.	राजकीय बालिका उ.मा.वि. राजमहल, जोधपुर	जिम्नास्टिक
4.	राजकीय महारानी बालिका उ.मा.वि., बीकानेर	वॉलीबाल

खेल छात्रावास

क्र.स.	विद्यालय का नाम	खेल का नाम
1	राजकीय नूतन उ. मा. वि. बॉसवाड़ा	हैण्डबॉल
2	राजकीय वोकेशनल उ. मा. वि. नयापुरा, कोटा	एथलेटिक्स
		फुटबाल

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से अग्रेषित कराते हुए दिनांक 06.08.2018 तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के खेलकूद अनुभाग में प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के साथ वांछित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in.secondary से डाउनलोड करके इस कार्यालय को प्रेषित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं खेल छात्रावास में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र / खेल छात्रावास का नाम
खेल का नाम.....

1. कार्मिक का नाम
2. वर्तमान पद एवं इस पद पर नियुक्ति तिथि पद..... तिथि.....
3. पदस्थापन स्थान
4. जन्मतिथि
5. दूरभाष नम्बर/ई मेल पता विद्यालय का ई मेल पता व दूरभाष न.....
मोबाईल.....
- कार्मिका का ई-मेल.....
6. प्रथम नियुक्ति विवरण पद..... तिथि.....
7. कार्मिक की योग्यताएँ :-



	परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	श्रेणी
शैक्षणिक :				
प्रशैक्षणिक :				

8. स्वयं के खेल में प्रतिनिधित्व (जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय)

खेल का नाम	स्तर	वर्ष	आयोजन स्थल	आयोजक संस्था	उपलब्धि

9. निर्णायक/चयन/प्रशिक्षण कार्य का अनुभव

खेल का नाम	स्तर (जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय)	वर्ष	आयोजन स्थल	प्रतिनियुक्ति अधिकारी

10. अन्य खेल/उपलब्धि (अगर कार्मिक एन.आई.एस डिप्लोमाधारी है तो विवरण अलग से दें) संबंधी विवरण :-

यह सत्य निष्ठा से घोषित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। क्र.सं. 07 से 10 तक की पुष्टि हेतु वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न हैं। विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन संबंधी कोई दायित्व यदि सौंपा जाता है तो उस कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक :-

हस्ताक्षर कार्मिक

संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का विद्यालय/कार्यालय अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मिलान कर लिया गया है तथा ये सही हैं। यदि विभाग द्वारा इन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो विभाग के हित में होगा एवं इन्हें समय पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। इनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा के पूल बजट के अन्तर्गत पदस्थापित नहीं है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
मय सील

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों का मिलान कर लिया गया है तथा ये सही हैं। इनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा के पूल बजट के अन्तर्गत पदस्थापित नहीं है।